बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना

कार्यालय आदेश

Sahyog RTMS Portal पर श्री आदर्श कुमार, पिता– श्री परमानन्द पोद्दार द्वारा दर्ज शिकायत (पंजीयन सं0–REF850212 दिनांक–16.09.2026, जो जिला नियोजन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–433, दिनांक–17.09.2026 द्वारा भी प्राप्त हुई, में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेघड़ा, बेगूसराय में ITI CAT 2026 सत्र के Document Verification एवं नामांकन के समय निर्धारित नामांकन शुल्क रुपये 980 के अतिरिक्त ID Card के नाम पर प्रति प्रशिक्षणार्थी रुपये 500 की वसूली किए जाने तथा राशि नहीं देने पर नामांकन रद्द करने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया था।

2. उक्त शिकायत की जाँच हेतु निदेशालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1878, दिनांक–24.09.2026 द्वारा श्री आलोक कुमार, उप निदेशक प्रशिक्षण, मुंगेर एवं श्री सुमन कुमार, सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु), पटना की दो सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई। समिति ने दिनांक–28.09.2026 को संस्थान का स्थलीय निरीक्षण कर उपस्थित सभी 141 प्रशिक्षणार्थियों, 13 कर्मियों एवं प्रभारी प्राचार्य का लिखित अभिकथन लिया तथा नामांकन पंजी, शुल्क रसीद, रोकड़बही एवं बैंक विवरणी की जाँच की। समिति का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन उप निदेशक प्रशिक्षण, मुंगेर के पत्रांक–207, दिनांक–29.09.2026 द्वारा प्राप्त हुआ है।

3. जाँच प्रतिवेदन के अनुसारः–
   (i) नामांकन शुल्क के अतिरिक्त ID Card अथवा किसी अन्य मद में राशि लेने एवं राशि नहीं देने पर नामांकन रद्द करने की धमकी संबंधी आरोप का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। शुल्क रसीद एवं रोकड़बही में भी निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई राशि अंकित नहीं पाई गई।
   (ii) अनुदेशकों, रोकड़पाल एवं प्रभारी प्राचार्य की संलिप्तता से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।
   (iii) नामांकन पंजी के अनुसार शिकायतकर्ता श्री आदर्श कुमार संस्थान के प्रशिक्षणार्थी नहीं हैं।
4. जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत श्री आदर्श कुमार द्वारा लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के कारण शिकायत को संचिकास्त किया जाता है।

ह0/–
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–टी–2/नामा0(प्र0)–20/2021 2252 /पटना, दिनांक– 10.11. /2026

प्रतिलिपिः–
1. प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तेघड़ा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. श्री आलोक कुमार, उप निदेशक प्रशिक्षण, मुंगेर/श्री सुमन कुमार, सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी, बेगूसराय को उनके पत्रांक–433, दिनांक–17.09.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक प्रशिक्षण–सह–नोडल पदाधिकारी, सहयोग पोर्टल को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/X/26
निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।